(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4009–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–11–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तराना जिला उज्जैन, प्रकरण कमांक 3/2015–16/अपील

.....

प्रकाश पुत्र श्री रामलाल बलाई
निवासी ग्राम मजराखेडा काठबड़ोदा
तहसील तराना जिला उज्जैन

.....आवेदक

विरूद्ध

1–शिवनारायण पुत्र श्री नंदराम
2–लीलाबाई विधवा दर्याव बलाई
3–हिन्दूसिंह पुत्र श्री दर्याव बलाई
4–गायत्रीबाई पिता श्री दर्याव बलाई
5–आत्माराम पुत्र श्री अमरा बलाई
6–कैलाश पुत्र श्री अमरा बलाई
7–तुलसीराम पुत्र श्री अमरा बलाई
8–राहुल पुत्र श्री रामेश्वर बलाई
निवासीगण काटबडोदा तहसील तराना
जिला उज्जैन म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री ओ0 पी0 शर्मा, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तराना जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम काटबडोदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 962/5 रकबा 0.25 पर अनावेदक के स्थान पर अपना

नामान्तरण कराये जाने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 108/अ–6/12–13 दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही की जाकर दिनांक 6–2–2013 को आदेश पारित कर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 6–2–2013 के विरूद्ध प्रथम अपील अनावेदकगण द्वारा दिनांक 8–10–15 को ढाई साल से भी अधिक विलम्ब से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–11–2015 अंतरिम आदेश पारित कर समय सीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील को समय सीमा में मान्य करते हुये आवेदक को सूचना पत्र जारी करने एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अनुबंध पत्र के माध्यम से वर्ष 2002–03 में उक्त भूमि कय की गई थी, तब से आवेदक उक्त भूमि पर कास्त करता आ रहा है । आवेदक द्वारा नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 6–2–2013 से आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया था उक्त नामान्तरण आदेश को लम्बे समय तक अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई है जबकि उन्हें उक्त आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उक्त नामान्तरण आदेश उनकी जानकारी में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिक समय पश्चात् प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये प्रकरण समय सीमा में मान्य

किया गया है, क्योंकि प्रकरण का अंतिम निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर गुणदोष किया जाना चाहिये । प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । अतः इस न्यायालय में यह निगरानी को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही में अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तराना जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–11–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर